



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन: 25752040-45

फैक्स: 25752035 / 25752039

ई-मेल: dgship-dgs@nic.in

वेब: [www.dgshipping.gov.in](http://www.dgshipping.gov.in)

“बीटा बिल्डिंग”, 9वीं मंजिल / “BETA BUILDING”, 9<sup>th</sup> FLOOR Tele: 25752040-45

आइ-थिंक टेक्नो कैंपस / I-THINK TECHNO CAMPUS Fax: 25752035 / 25752039

कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST) E-mail: [dgship-dgs@nic.in](mailto:dgship-dgs@nic.in)

मुंबई - 400 042 / MUMBAI - 400 042

Web: [www.dgshipping.gov.in](http://www.dgshipping.gov.in)

फा सं - 5-एनटी/(8)/2008

दि. 21.10.2014

वर्ष 2014 का नॉटिकल / नौचालन सुरक्षा / परिपत्र संख्या 01

विषय - राष्ट्रीय जल सर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून द्वारा भारत के तट पर प्रकाशित भारतीय चार्टों के प्रकाशन के प्रयोग संबंधी ।

1. नॉटिकल चार्टों के प्रकाशन हेतु राष्ट्रीय जल सर्वेक्षक कार्यालय (एनएचओ) राष्ट्रीय प्राधिकरण है. एनएचओ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह राष्ट्रीय जल सर्वेक्षणों का कार्य करे एनएचओ इस बात हेतु उत्तरदायी है कि वह सही, सटीक एवं अद्यतन नौचालन उत्पाद समुद्रकर्मियों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे जैसे कि नौचालन चार्ट और अन्य सूचनाएं एनएचओ द्वारा प्रकाशित की जाएं तथा भारत जिन अन्तरराष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठनों (आईएचओ) का सदस्य है उनके मानकों के अनुरूप ये अद्यतन हों तथा सुविस्तारित रूप से इनका प्रतिपादन किया जाए ।
2. भारत के छोटे / बड़े समुद्री पत्तनों तथा भारत के तटवर्ती समुद्र में नौचालन संबंधी सुरक्षा के हित में अपेक्षित अद्यतन और सटीक सूचना के महत्त्व को समझते हुए नौवहन निदेशालय ने भारतीय नौवहन उद्योग के हित में एतद्वारा विनिर्धारित किया है कि भारत के तटवर्ती समुद्रों सहित छोटे/बड़े पत्तनों में प्रवेश करते या वहां से जाते समय एनएचओ द्वारा प्रकाशित चालन चार्टों का प्रयोग करेंगे ।
3. छोटे या बड़े पत्तनों पर आने वाले विदेशी ध्वज जलयानों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षाप्रद नौचालन और प्रचालन हेतु अपेक्षित एनएचओ द्वारा प्रकाशित किए गए समुचित पैमाने के अद्यतन चार्टों का प्रयोग करें ।
4. इसे नॉटिकल सलाहकार भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय

(कप्तान हरीश खत्री)

उप नॉटिकल सलाहकार,

भारत सरकार